संख्या:-75-दो-(1)/छत्तीस(1)/न्या.अनु./2004

प्रेषक,

यू०सी० ध्यानी,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा मे,

महानिबन्धक,
उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग: देहरादून : दिनांक 16 नवम्बर, 2004

विषय: रुड़की, जिला हरिद्वार मे न्यायालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2004-05 में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-739/UHC/Con./Admin B. Sect/2004, दिनांक 12 अप्रैल, 2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रुड़की जनपद हरिद्वार में न्यायालय भवन के निर्माण हेतु रु0 4,93,36,000/-के आगणन के विरुद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रु0 3,84,46,000/- (रुपये तीन करोड़ चौरासी लाख छियालीस हजार मात्र) की धनराशि के लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके विपरीत रु0 1,00,00,000/- (रुपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि के व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1) आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि नार्म्स के अन्तर्गत स्वीकृत है, स्वीकृत नार्म्स से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

(4) एकमुश्त प्राविधानों का विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त की जाय ।

(5) उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन दी जाती है कि व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध मे समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशो का अनुपालन किया जाय ।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लिया जाय । निरीक्षण के पश्चात् निर्देशो तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।

(7) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकि दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।

(8) आगणन में धनराशि जिस मद हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद मे व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद मे किसी भी दशा मे आवंटित न की जाय । उक्त स्वीकृति में साज-सज्जा की मदें सम्मिलित नही है ।

mohaliwal

(9) निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय ।

(10) कार्य को स्वीकृत लागत मे ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति मे लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नही की जायेगी ।

(11) कार्य पूर्ण कराये जाने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति बताते हुये इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

(12) धन का कोषागार से आहरण तीन बराबर किस्तो मे ही किया जायेगा । एक किश्त के 80 प्रतिशत धन उपयोग में आने के बाद ही अगली किश्त का आहरण किया जायेगा और उपरोक्त धनराशि के पूर्ण उपभोग एवं कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण देने के उपरान्त ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी ।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.3.2005 तक सुनिश्चित कर लिया जाय । यदि उक्त अवधि तक किसी धनराशि का उपभोग सम्भव न हो तो उसकी सूचना शासन को दी जाय ।

(14) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/निर्माण एजेन्सी पूर्णरुप से उत्तरदायी होगी ।

2- इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-2005 की आय-व्ययक की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "4059-लोकनिर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय- 60-अन्य भवन-आयोजनागत-051-निर्माण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाये-01-न्यायिक कार्य हेतु भवनो का निर्माण (50 प्रतिशत केन्द्रांश)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1737/वि0अनु0-3/2004, दिनांक 04 नवम्बर, 2004 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(यू०सी०ध्यानी)
सचिव ।

संख्या-75-दो-(1)(1)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2004-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) उत्तराचंल,माजरा, देहरादून ।
2. जिला जज, हरिद्वार ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार ।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
5. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
6. श्री एल0 एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन ।
7. नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन ।
8. वित्त अनुभाग-3/एन.आई.सी. ।
9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आर०डी०पालीवाल)
अपर सचिव ।